

**URGENT
ASSEMBLY MATTER**

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENT. AND LUXURY
TAX L & N BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

F.No.Ex./IMFL/A.Q./2023/67-69

Dated: 13/12/2023

To,

✓ Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat,
Delhi-110054.

**Sub: Reply of Un-Starred Question No.64 for 15.12.2023, raised by
Sh. Ajay Mahawar, Hon'ble Member.**

Sir,

Please find enclosed herewith reply of Un-Starred Question No.64
raised by **Sh. Ajay Mahawar, Hon'ble Member** for taking necessary
action at your end.

Encl. As above (100 copies).



Yours faithfully,

Assistant Commissioner (P.Q)

Copy to :- Director DIP, Old Sett. Block-9, Delhi-54

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग
एल-ब्लॉक: विकास भवन: आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या:-64

दिनांक:- 15.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री अजय महावर

क्या माननीय वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि घोंडा विधान सभा में शास्त्री पार्क से खजूरी के मध्य नेशनल हाईवे 709वी की सर्विस रोड पर स्थानीय निवासियों के विरोध के बावजूद 6 दारू के ठेके खोले गये हैं;	दिल्ली में शराब की दुकान दिल्ली आबकारी एक्ट 2009 एवं दिल्ली आबकारी नियम 2010 तथा संबन्धित उपमंडलीय दंडाधिकारी के अध्यक्षता में गठित टीम की अनुशंशा पर खोली जाती है। दुकानों के निश्चित पते के अभाव के कारण सटीक जानकारी देना संभव नहीं है।
ख) यदि हाँ तो क्या यह भी सत्य है कि क्या यह ठेके वैध है;	उपरोक्त।
ग) यदि नहीं, तो इन्हें बंद करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है;	उपरोक्त।
घ) क्या यह भी सत्य है कि घोंडा विधानसभा में वजीराबाद रोड स्टेट हाईवे एनएच-9 पर भजनपुरा में दो ठेके खोले गये हैं;	दिल्ली में शराब की दुकान दिल्ली आबकारी एक्ट 2009 एवं दिल्ली आबकारी नियम 2010 तथा संबन्धित उपमंडलीय दंडाधिकारी के अध्यक्षता में गठित टीम की अनुशंशा पर खोली जाती है। दुकानों के निश्चित पते के अभाव के कारण सटीक जानकारी देना संभव नहीं है।
ड.) यदि हाँ, तो क्या यह वैध है; और	उपरोक्त।
च) यदि नहीं, तो इन्हें बंद करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?	उपरोक्त।

हस्ताक्षर
कृष्ण मोहन
(आबकारी आयुक्त)